

सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED NO. D. (DN)-72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1984/श्रावण 22, 1906
No. 387] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1984/SRAVANA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1984

संक्षेप सूचना

का०अ० 597 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कंवर राम पाल सिंह, अधिवक्ता करनाल (हरियाणा) और श्री विनोद भाई जी० पटेल, बी०एस०सी० डाकखाना, तालुका बयाद, जिला सांवरकंठा (गुजरात) को केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करती है, और उस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र भाग 2 खंड, उपखंड (2) तारीख 24 मई, 1984 के पृष्ठ 1 से ऊपर प्रकाशित भारत सरकार के कृषि 653 GI/84

(1)

मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 404(अ) तारीख 24 मई, 1984 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“20. श्री कंवर राम पाल सिंह, अधिवक्ता,
करनाल (हरियाणा)—सदस्य

21. श्री विनोद भाई जी० पटेल बी०एस०सी०
डाकखाना देसाईपुर,
जिला सांवरकंठा (गुजरात)—सदस्य

(2) प्रविष्टि 20 की प्रविष्टि 22 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[सं० 18-1/83-एस०डी०-4]

बी० पी० सिकदेर, निदेशक
(निवेश)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 13th August, 1984

NOTIFICATION

S.O. 597(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (2) of section 8A of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri Kanwar Pal Singh, Advocate Karnal (Haryana) and Shri Vinodbhai G. Patel, B.Sc. at Post Desaipur, Taluka Bayad, District Sambarkantha (Gujarat), as members of the Central Seed Certification Board, and for that purpose amends the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) No. S.O. 404(E), dated the 24th May, 1984, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 24-5-84 at pages 1—3, as follows :—

In the said notification :—

(i) after entry 19, the following entries shall be inserted, namely :—

- | | |
|---|----------|
| “20. Shri Kanwar Ram Pal Singh,
Advocate,
Karnal (Haryana). | Member |
| 21. Shri Vinodbhai G. Patel, B.Sc.,
at post Desaipur,
Taluka Bayad,
District Sambarkantha (Gujarat). | Member”; |

(ii) entry 20 shall be re-numbered as entry 22.

[No. 18-1/83-SD.-IV]

B. P. SIKDER,
Director (Inputs)